न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 343/2015/223 (2015/00343)

1. प्रेमचंद पुत्र काना,
2. रंगलाल पुत्र काना,
3. कालू पुत्र काना,
4. सोहनी बेवा काना,

जाति खटीक, निवासी ग्राम भदूण, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ।

5. कमला पुत्री काना पत्नि कन्हैयालाल, जाति खटीक, निवासी रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
6. सायर पुत्री काना पत्नि जीतराज, जाति खटीक, निवासी मारोठ, तहसील नावां, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश पुत्र केसरीमल, जाति बावरी, निवासी बिदयात, हाल निवासी भदूण, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. केसर पुत्र नारायण, जाति बावरी, निवासी बिदयात, हाल निवासी भदूण, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 21.5.2015 अंतर्गत वाद संख्या 39/2014 (139/2007).

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 25.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.5.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांटस के पिता एवं पति काना ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 89/3 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा किस्म बंजर प्रथम दिनांक 28.5.1992 को वादी को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के पश्चात् वादी/अपीलांटस ही काबिज काश्त चला आ रहा है । परन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं किया जबकि उक्त आराजी बाबत् वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व पति काना पुत्र छोटू ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था दौराने वाद प्रार्थीगण के पिता व पति काना की मृत्यु दिनांक 31.12.2011 को हो गयी थी जिसकी कायम मुकाम बाबत् कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिये वर्तमान प्रार्थीगण दावे में अपने पिता की जगह वादीगण मुर्तिब नहीं हो सके तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.5.2015 पारित कर दिया । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 से प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर सीधा कुठाराघात हो रहा है जिससे प्रार्थीगण उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली वास्ते वादी की गवाह हेतु नियत थी उसी दौरान वादी की मृत्यु दिनांक 31.12.2011 को हो गयी थी तथा वादी की मृत्यु के पश्चात् कायम मुकाम की कार्यवाही बाबत् कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे पूर्व ही दिनांक 21.5.2015 को प्रस्तुत वाद को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम भूदण में नियत कर दौराने लोक अदालत तहसीलदार, रूपनगढ़ से वाद में अंकित आराजी बाबत् रिपोर्ट मंगवाकर रिपोर्ट के अनुसार भूमि को काबिल काश्त नहीं होकर बंजर भूमि होने के आधार पर वाद को नोन स्पीकिंग निर्णय पारित कर निरस्त कर दिया जबकि अधी0न्याया0 को इस प्रकार से वादी के वाद को आनन–फानन में केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट पर निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि पूर्व में दिनांक 30.4.2010 को प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार का जवाब बंद कर दिया गया था । इस प्रकार वापिस जवाब रिओपन कराये बिना तहसीलदार से रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा सकती थी । तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट वादी की पीठ पीछे तैयार कर भिजवाई है जो साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं थी । अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हो गया था तथा दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर दी गई थी तो अधी0न्याया0 को आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र लोक अदालत में सुनवाई कर नोन स्पीकिंग निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 89/3 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम भूदण तहसील रूपनगढ़ में स्थित है जो वादी को दिनांक 28.5.1992 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में इंद्राज सहवन से नहीं हो पाया जिसमें वादी की कोई गलती नहीं है । वादी आवंटन दिनांक से विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर ज्वार की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

काश्त कर रखी है । अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज किया कि जब आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादी के पक्ष में आवंटन के उपरारंत कब्जा आवंटी को दे दिया गया था तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28.5.1992 के विरूद्ध शिकायतकर्ताओं ने नियम 14 (4) का प्रार्थना पत्र जिलाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष भी अपील पेश जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने शिकायतकर्ता की अपील दिनांक 12.5.1997 को निरस्त कर वादी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 की जानकारी प्रार्थीगण को तब हुई जब प्रार्थीगण को दिनांक 5.7.2015 को उसके अभिभाषक ने फोन पर यह जानकारी दी कि आपके दावे का निस्तारण हो गया है आप आकर मिले तब प्रार्थी कालू ने दिनांक 6.7.2015 को अपने अभिभाषक से संपर्क किया तब उन्होंने बताया कि जब आप लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 21.5.2015 को आये थे उसी दिवस की तारीख में आपका दावा खारिज कर दिया गया है जिसकी आपको अपील पेश करनी होगी । इसके उपरांत प्रार्थी ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु उसी दिन आवेदन पत्र पेश कर गांव आ गया तथा उक्त निर्णय की प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक ने दिनांक 7.7.2015 को ली तत्पश्चात् खर्चे आदि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं होकर बंजर भूमि है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांटस ने प्रार्थन पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण के पिता व पति काना पुत्र छोटू ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया था । दौराने वाद प्रार्थीगण के पिता काना की मृत्यु दिनांक 31.12.2011 को हो गयी थी किन्तु मृतक काना के कायम मुकाम की कार्यवाही अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं हो सकी थी जिससे प्रार्थीगण अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकार कायम नहीं हो सके तथा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्ति काना के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हुए है। हम प्रार्थीगण के उपरोक्त कथन से सहमत है क्योंकि वादी काना की मृत्यु अधी0न्याया0 में दौराने वाद हो गयी थी किन्तु मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थीगण को अधी0न्याया0 में पक्षकार कायम नहीं किया गया जिससे वे अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है । हम

न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । चूंकि अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष पिता की मृत्यु उपरांत कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं होने से पक्षकार संयोजित नहीं हो सके थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय अपीलांटस को नहीं हो सकी थी । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के पिता व पति काना पुत्र छोटू ने धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद पेश कर निवेदन किया था कि वादपत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 89/3 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म बंजर प्रथम दिनांक 28.5.1992 को वादी को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के पश्चात् वादी/अपीलांटस ही काबिज काश्त चला आ रहा है । परन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आवंटन का राजस्व रिकार्ड में इद्रांज नहीं किया । अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते अपीलांटस के पिता व पति काना की मृत्यु दिनांक 31.12.2011 को हो गयी थी किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष वादी की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं हो सकी थी । अधी0न्याया0 ने मृतक वादी के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद में निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्तानुसार वादी की मृत्यु होने तथा उसके कायम मुकाम की कार्यवाही नही होने से अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष पेश नहीं कर सके थे । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.5.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक वादी काना के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 25.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर